

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखंड अधिकारी मुकाम सुजाणगढ़
शेरसिंह मारी बनाम डालचन्द डादि
 किस्म प्लॉट नं. 218 नि० मुकदमां नं. 55 सन् 2023

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए
20.06.23	<p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया गया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वादगत भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतः बाद सुनवाई अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि खेत खसरा संख्या 730/196 रकबा 0.7233 हैक्टेयर व खसरा संख्या 731/196 रकबा 0.1200 हैक्टेयर रोही मौजा गुलेरिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु कृषि भूमि का आगामी आदेश तक मौका की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>अगर इसमें कोई आपति हो तो दिनांक 27.07.2023 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p style="text-align: center;">अप खण्ड अधिकारी सुजाणगढ़</p>	
27/7/23	<p>पी० श्री० साहब सुनाव परिष्ण मे जयपुर पधारे हुवेई पत्रावली वाते तलबी रिमंडे 13/09/2023 से पेश होय</p>	
13/9/23	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रावली वाते तलबी रिमंडे 03/11/2023 से पेश होय</p>	
03/11/23	<p>पी० श्री० साहब सुनाव शर्मे मे वरसहे हुवावली रिष्ण 01 से भोरसे पूर्व मे कवा मे वरसालतनामा तथा</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जे हुकम की ता जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

पार्थना पर अ०धा० ३९ नियम ०५ सीपीसी
पेश किया। पञ्चवली वास्ते डाइनिंग रूम की
डिमांड 18/01/2024 को पेश थी।

18 01/24

पञ्चवली पेशाई पर अ०धा० ३९ नियम ०५
सीपीसी शामिल मिसल दिया गया। पञ्चवली वास्ते
जवाब पार्थना-पर डिमांड 01/03/2024 को पेश
थे।

20 02/24

पार्थी उपस्थित। पार्थी ने पार्थना-पर मिसल आज ही
पेशी में लेने का वक्त पेश किया जिस पर मिसल
आज ही पेशी में ली गई। साथ ही एउ पार्थना-पर
न। विड्रॉल हेतु पेश किया। जिस पर पार्थी से हुका
गमा। इंडि पार्थना-पर से साथ संलग्न प्रकृ काउ
ले खरीज किया जा चुका है। इसलिए ए। में
इसमें कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। सुनाकर
पार्थना-पर न। विड्रॉल के आधार पर ए। इसी
स्तर पर खरीज की जाती है। पञ्चवली फंसल
सुमार दोकर दाखिल करके थे।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानमद